

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पत्रांक— /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025
दिनांक— 10 जून 2025
कार्यालय—आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित कर्मिकों का माह **जून-2025** का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्री अजय सिंह	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून	सहायक निदेशक (सेवा0)/ प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी	जनहित में
2	श्रीमती ममता चौहान नेगी	सहायक निदेशक	सेवायोजन निदेशालय	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी/ क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून	अनुरोध के आधार पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन— 1451-59/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
4. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून/सहायक निदेशक(सेवा0), निदेशालय हल्द्वानी।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक—

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

दिनांक— 10 जून 2025

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र० स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती प्रियका गडिया	सेवायोजन अधिकारी	जिला सेवायोजन कार्यालय नैनीताल	नगर सेवायोजन अधिकारी/नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांक— 1460-69/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोडा।
- जिला सेवायोजन कार्यालय नैनीताल/नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पत्रांक— /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025
दिनांक— 10 जून 2025
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र० स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री विक्रम	सेवायोजन अधिकारी	शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र कालसी	सहायक सेवायोजन अधिकारी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन— 1470-78 /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोड़ा/देहरादून।
- सम्बंधित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पत्रांक— /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025
दिनांक— 10 जून 2025
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र० स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री शंकर बोरा	सेवायोजन अधिकारी	नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी	जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन— 1479-88 /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोडा।
- जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़/नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी।
- सम्बंधित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक—

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

दिनांक— 10 जून 2025

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र० स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अव्युक्ति
1	श्री कपिल पाण्डे	सेवायोजन अधिकारी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून	जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सेवायोजन कार्यालय ऊधम सिंह नगर	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन— 1489-98 /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोडा/देहरादून।
- क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून/जिला सेवायोजन कार्यालय ऊधम सिंह नगर।
- सम्बंधित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पत्रांक— /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025
दिनांक— 10 जून 2025
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र० स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री राजेश दुर्गापाल	सेवायोजन अधिकारी	जिला सेवायोजन कार्यालय ऊधम सिंह नगर	जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सेवायोजन कार्यालय चमोली	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन— 1499-1508

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोडा/लैंसडाउन।
- जिला सेवायोजन अधिकारी ऊधम सिंह नगर/चमोली।
- सम्बंधित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड पत्रावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक-

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

दिनांक- 10 जून 2025

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री मुकेश प्रसाद रयाल	सेवायोजन अधिकारी	शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र देहरादून	उपप्रमुख/यू0ई0बी0 श्रीनगर	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन- 1509-1518

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैंसडाउन/देहरादून।
- शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र देहरादून/यू0ई0बी0 श्रीनगर।
- सम्बंधित अधिकारी।
- बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड पत्रावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक-

/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

दिनांक- 10 जून 2025

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों तथा विभागीय कार्यक्रमों यथा स्वरोजगार केन्द्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, एवं अन्य जिनका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है, उक्त आवश्यकताओं के क्रम में जनपद स्तर अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न सेवायोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित अधिकारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जून-2025 का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री उत्तम कुमार	सेवायोजन अधिकारी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लैन्सडाउन	जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांक- 1569-77 /डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2025

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी कौशल विकास एवं सेवायोजन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैन्सडाउन/देहरादून।
- सम्बंधित अधिकारी/कार्यालय।
- वेब इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फ़ावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)

निदेशक, सेवायोजन